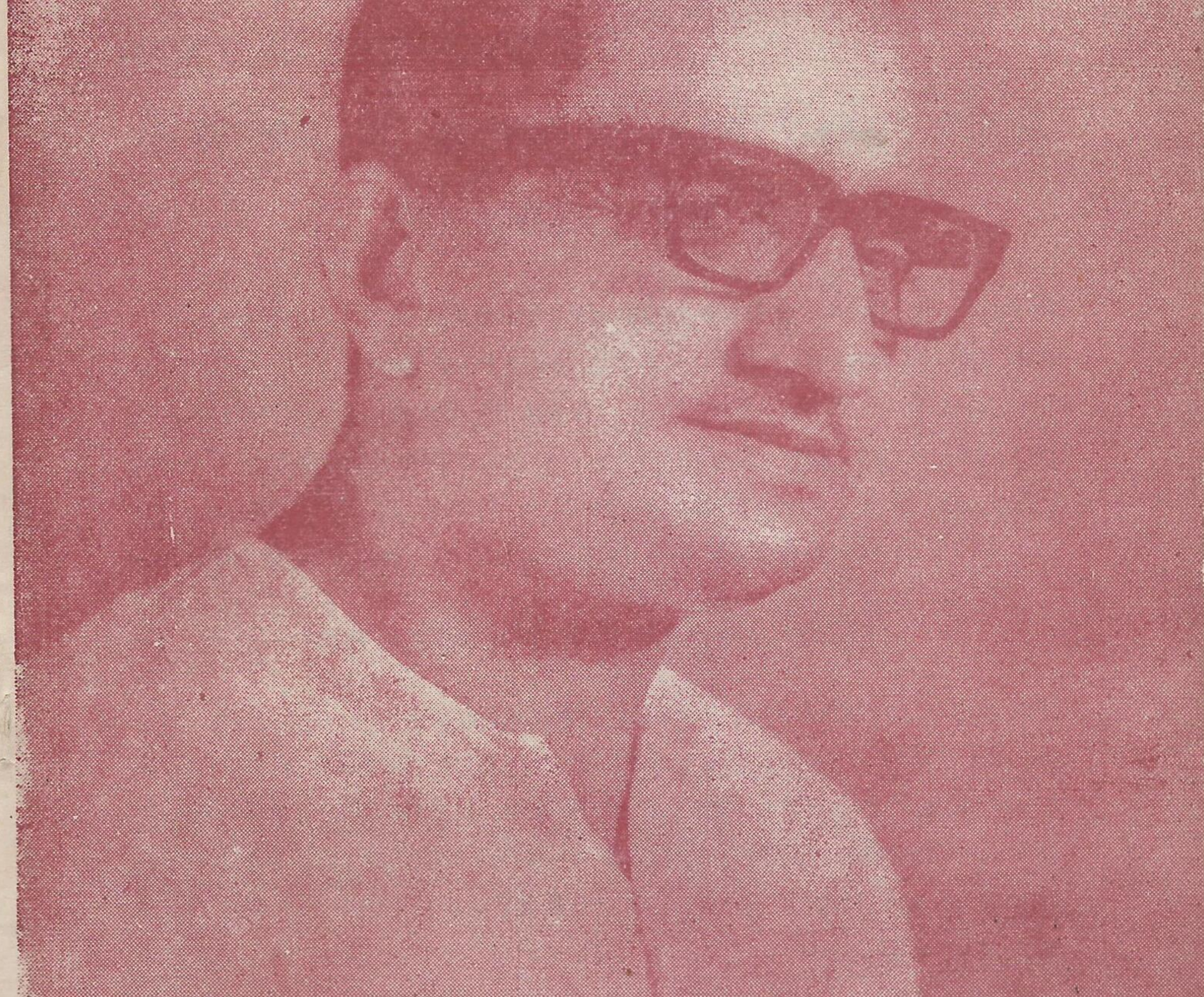

मजदूर की मांग—केवल एक

मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य के नाते जिन्दा रहने का हमारा हक है

दत्तोपन्त ठेंगडी
संसद सदस्य
महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ

मूल्य : ५० पैसे

मजदूर की मांग–केवल एक

मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य के नाते जिन्दा रहने का हमारा हक है

जिम समय मजदूर अपनी मांग पत्र प्रस्तुत करता है, लोगों को देखने में प्रतीत होता है कि उसकी ३० या ४० मांगें हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाय तो कुल मिलाकर उसकी एक ही मांग है, जो हर एक मनुष्य की है। वह मांग क्या है ? वह मांग है--''मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य के नाते जिन्दा रहने का मुझे हक चाहिये।' इस एक ही बात को वह अलग अलग ढंग से कहता है। यदि मनुष्य के नाते मुझे जिन्दा रहना है तो कौन सी बातें आवश्यक हैं ?

काम चाहिए और काम की सुरक्षा चाहिए

सबसे पहले कुछ न कुछ रोटी का इन्तजाम होना चाहिए। अर्थात् रोटी के लिए हमें काम मिलना चाहिए। इसीलिये भारतीय मजदूर संघ ने Right to work की मांग की है। काम करने का हक मौलिक अधिकार अर्थात बुनियादी हक होना चाहिए। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की सूची में इसे जोड़ देना चाहिए। इस देश में जो पैदा हुआ है, उसको काम मिलना ही चाहिए। उसे काम दिलाना समाज और सरकार का कर्तव्य है। जैसे काम चाहिए, वैसे ही काम की सुरक्षा भी चाहिये। किसी स्थान पर १०–१५ वर्ष से कोई काम करे और मालिक की थोड़ी सी नाराजगी पर 'तुम्हारी सेवा की मुझे आवश्यकता नहीं है' (Your services are no more required) की नोटिस मिल जाय, तो वह कहां भटकता फिरेगा ? इस दृष्टि से स्थायी होने के नियमो का अनिवार्य रूप से पालन होना चाहिए। स्वतन्त्र देश के नागरिक की हैसियत से जीने के लिये स्थायित्व चाहिये। ठीके की प्रथा समाप्त हो, कैजुअल तथा वर्क चार्ज को नियमित करने की पद्धति का कड़ाई से पालन होना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार का उसे काम का हक है, उसी प्रकार काम की सुरक्षा का भी उसे हक होना चाहिए। जैसे मैं काम चाहता हूं, काम की सुरक्षा चाहता हूं, वैसे ही मैं काम के लिए कुछ पैसा भी चाहता हूं।

वेतना कितना मिलना चाहिए ?

हम जो काम कर रहे हैं, हमें कितना पैसा मिलना चाहिये ? इस विषय में भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि कम से कम तनख्वाह (न्यूनतम वेतन) का सम्बन्ध अन्य वस्तुओं से नहीं केवल वस्तुओं के भावों अर्थात मूल्य सूचकांक से ही जोड़ा जा सकता है। हिन्दुस्थान में पैदा हुये हर एक मनुष्य को 'आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन' मिलना ही चाहिये। इस दृष्टि से हिन्दुस्तान के प्रत्यक औद्योगिक केन्द्र में मजदूरों के परिवारों के माहवार खर्चों की जांच होनी चाहिये। नाना प्रकार के खर्चे हुआ करते हैं। कुछ खर्चे हर दिन के, हर सप्ताह के हुआ करते हैं, जैसे नमक, तेल, मिर्च। कुछ खर्चे महीने में एक दो बार हुआ करते हैं, जैसे–दाल, चावल, आटा आदि। कुछ वर्ष में एक दो बार, जैसे कपड़ा, जूताआदि। कुछ दो चार साल में होते हैं– जैसे छाता, चादर आदि तथा कुछ खर्चे ५–७ वर्ष में होते हैं– जैसे बहन की शादी, बेटी की शादी आदि। ये सारे खर्चे हर परिवार में होते हैं। इनकी गणना करते हुए औसत निकाल कर आज बाजार में जो कीमतों का स्तर है, उसको दृष्टि में रखकर आवश्यकता पर आधारित कम से कम वेतन तय होना चाहिए। और यह वेतन अकुशल मजदूर का अर्थात मिट्टी ढोने के अलावा अन्य दूसरा काम जो नही कर सकता, ऐसे मजदूर का। जहाँ तक अन्य कर्मचारियों के वेतन का प्रश्न है, भारतीय मजदूर संघ ने कार्य विश्लेषण व कार्य मूल्यांकन करने का सुझाव दिया है। पश्चिमी देशों में यह पद्धति प्रचलित है। वहाँ हर काम का मूल्यांकन किया जाता है। शारीरिक परिश्रम उस काम में कितना करना पढ़ता है, नीरस कितना है, कितना जोखिम उठाना पड़ता है, कितनी जिम्मेवारी का है, कितने महत्व का है, एक स्थान का है या रनिंग, खड़े होकर कार्य करना पड़ता है या बैठकर, धूप में या कमरे में, दिन में या रात्रि में, कार्य करना पड़ता है, शिक्षा की कितनी आवश्यकता है, बुद्धि और कुशलता का उस कार्य में कितना स्थान है आदि। तात्पर्य यह कि हर बात के लिये अंक दिये जाते हैं। उसके आधार पर वेतन क्रम निर्धारित होने चाहिए। जहाँ हम कीमतों के आधार पर कम से कम वेतन की मांग कर रहे हैं और कार्य मूल्यांकन तथा कार्य विश्लेषण के आधार पर वेतन क्रमों को निर्धारित करने का सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां भारतीय मजदूर संघ ने कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आय में १ और १० से अधिक का अन्तर न रखने की भी मांग की है। तात्पर्य यह कि यदि सामान्य कुली को १०० रुपये

मिलता है तो राष्ट्रपति को अथवा टाटा, बिरला को १००० रुपये से अधिक नहीं मिलना चाहिये ।

सामाजिक सुरक्षा

जैसे हर व्यक्ति को काम, काम की सुरक्षा और पैसा मिलना चाहिए वैसे ही प्रत्येक के मन की स्वाभाविक आशंकाओं के निवारण का भी प्रबन्ध होना चाहिए । जैसे आज मैं जवान हूं, हट्टा कट्टा हूं, काम कर सकता हुं किन्तु कल जब मशीन पर काम करते हुए हांथ या पैर कट जावेगा और आज के समान काम करने में असमर्थ रहूंगा, उस स्थिति में मेरे बाल बच्चों की परिवरिश कौन करेगा ? बूढ़ा हो जाऊँगा अथवा मर जाऊँगा उस समय मेरे परिवार का क्या होगा ? ऐसी आशंकायें प्रत्येक के मन में उठती हैं । उसके निराकरण के उपाय करने का समाज और सरकार दोनों का दायित्व है । इसी दृष्टि से प्रत्येक देश में सामाजिक सुरक्षा के अनेक कनून बने हुए हैं । हमारे देश में भी प्राविडैन्ट फण्ड, ग्रेच्युटी, इम्पलायमेंट इस्टेट इन्सोरेन्श, वर्कमेन्स कम्पनसेशन्स आदि की योजनायें लागू हैं । किन्तु ये सभी सदोष हैं । इनको ठीक करने की आवश्यकता है । इन सभी सामाजिक सुरक्षा विषयक व्यवस्थाओं को मिलाकर एक सर्वकश सामाजिक सुरक्षा (Integrated Social Security) का विकास करना होगा ।

आबास की व्यवस्था

जैसे आदमी को पेट भरने के लिए भोजन चाहिये वैसे ही आवास के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए । इस दृष्टि से औद्योगिक गृह निर्माण की स्थापना होनी चाहिए । कम पैसे में अधिक लोगों के रहने के लिये किस प्रकार व्यवस्था हो सकती है, उस पर विचार होना चाहिये ।

न्याय शीघ्र व सस्ता मिले

आज कानून भी मजदूरों को पूरी तरह सुरक्षा देने में असमर्थ है । सभी कार्य देर से होते हैं । संराधन में देरी, पंच निर्णय में देरी तथा अभिनिर्णय में देरी होना आज साधारण प्रक्रिया बन गयी है । इस देरी में मजदूरों का साहस समाप्त हो जाता है । क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, जबकि मालिकों व

सरकार को इस देरी के कारण अत्यधिक सुविधा मिल जाती है। इसीलिये हमारी मांग है कि जब तक किसी विवाद का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक मजदूर को वेतन मिलते रहना चाहिये। कानून का ढांचा ऐसा हो जिससे मजदूरों को न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले तथा शीघ्र न्याय मिले। उसके पालन कराने के लिये दक्ष मशीनरी भी होनी चाहिये। जहां वह काम करता है, वहां उसकी प्रतिष्ठा भी रहनी चाहिये। उस ढंग का वातावरण निर्माण होना चाहिये।

बोनस

सभी कर्मचारियों को चाहे वे औद्योगिक हों अथवा अनौद्योगिक बोनस का हकदार बनाना चाहिए। बोनस को हम लभांश तब तक नहीं मान सकते, जब तक कि हमारा प्रत्यक्ष वेतन, जीवन वेतन के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। अर्थ-शास्त्र का यह माना हुआ सिद्धान्त है कि बोनस के दो स्वरूप हुआ करते हैं। एक यह कि जब तक हमारा प्रत्यक्ष वेतन जीवन वेतन के स्तर तक नहीं पहुंचता तब तक बोनस हमारे लिए देरी से दी गई तनख्वाह है और इसीलिये पैसे के बटवारे में वेतन के समान ही बोनस को अर्थात वर्षिक वेतन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसका दूसरा स्वरूप लाभांश का है। वह स्थिति जीवन वेतन की प्राप्ति के उपरान्त ही निर्माण हो सकती है।

सरकार के पास पैसा है

सरकार कहती है कि उक्त सारी सुविधाओं को कर्मचारियों को देने हेतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। वास्तव में यह तर्क झूठा है। पिछले वर्ष ही साढ़े ५०० करोड़ रुपये बड़े बड़े सरमायदारों ने बकोया टैक्स का हड़प लिया है तथा १० हजार से १२ हजार करोड़ रुपये काले धन को उज्ज्वल बनाने के लिये भी सरकार तय्यार नहीं है, जब कि उसके सम्बन्ध में बान्चू समिति ने अनेक उपयोगी सुझाव .प्रस्तुत किया है। मात्र ७५ औद्योगिक परिवारों में निजी सम्पत्ति का केन्द्रीकरण हो चुका है, उसके विकेन्द्रीकरण के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। मिनिस्टरों व आफिसरों की झूठी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिये प्रतिवर्ष १२ सौ करोड़ रुपये से ऊपर की फिजूलखर्ची हो रही है, किन्तु इसे रोकने के लिए सरकार तय्यार नहीं है जबकि हमारे यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं।

गरीबों की रोटी कौन छीन रहा है ?

जब कर्मचारी मांग उठाता है हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिये तो हमारी प्रधान मंत्री के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि देखिये, ये कैसे बदमाश लोग हैं, हम इन लोगों को ज्यादा पैसा देने की फिकर करें ? या देहातों में जो गरीब लोग भूखों मर रहे हैं, उनकी चिन्ता करें ? वास्तव में यह तर्क जनता को गुमराह करने के लिये दिया जाता हैं, क्योंकि कर्मचारियों ने यह कभी नहीं कहा कि खेतिहर गरीब मजदूरों के मुँह की रोटी छीन कर हमें दो। आज जो गरीबी है, मजदूर मर रहा है, उन सारे पाप की जिम्मेदारी सरकार पर है। भारत सरकार की गलत नीतियां ही इसके लिये जिम्मेदार हैं। गलती सरकार करे, रुपया सरकार हड़पे, गलत योजनायें वह बनावे तथा पूंजीपतियों से सांठ-गांठ वह करे, किन्तु प्रायश्चित कर्मचारियों को करने के लिये कहा जाय—यह Double Standard नहीं चलने देना चाहिये।

मंहगाई क्यों बढ़ रही है ?

भारतीय मजदूर संघ ने अपने स्थापना के समय १८ वर्ष पहले से ही सरकार की आर्थिक नीति को गलत बताया और उसमें परिवर्तन की मांग की आज उन्हीं गलत नीतियों के कारण मंहगाई बढ़ रही है। सरकार कह रही है कि सूखे और बाढ़ के कारण एवं जनसंख्या बृद्धि के कारण मंहगाई बढ़ रही है, किन्तु वर्षा समय पर अच्छी हो जाने से जब फसल अच्छी हो जाती है सरकार कहती है कि हमारी प्लानिंग अच्छी है, किन्तु जब फसल खराब हो जाती है वह अपनी प्लानिंग को खराब नहीं मानती। अर्थात गड़बड़ हुई तो वर्षा जिम्मेवार अच्छी हुई तो प्लानिंग। आज तक जो भी भी व्यापार अथवा उद्योग सरकार ने अपने हाथ में ली, वे सभी घाटे में चल रहे हैं। गेहूं का अधिग्रहण उसने किया और बाजार से सामान गायब होने लगा। मंहगाई बढ़ने लगी। इसीलिये हमने १९६० की दर पर उपभोक्ता बस्तुओं की मांग की है। कीमतों पर नियन्त्रण रखने के लिये बहुत पहले से हम कहते आ रहे हैं कि घाटे का बजट बन्द होना चाहिए। प्रशासन की फिजूलखर्ची समाप्त होनी चाहिए। खर्च पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिये। कन्जूमर्स टैक्स लगाना चाहिये। जीवनावश्यक वस्तुओं के ऊपर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर को वापस ले लेना चाहिए। ज्यादा कमाने वाले पर ज्यादा टैक्स लगाने चाहिये। शास्त्रीय आधार पर कर

पद्धति निर्धारित करनी चाहिये। दस और सौ रुपये के नोटो का मुद्रीकरण करना चाहिये।

श्रम प्रधान योजनायें बने

अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके-ऐसी योजनायें होनी चाहिये। इस दृष्टि से प्रतिरक्षा और उससे सम्बन्धित विज्ञान को छोड़कर शेष सभी उद्योगों में स्वचालितीकरण अथवा कम्यूटरों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को काम देने की आज बेहद आवश्यकता है। पश्चिम की टेकनालाजी हमारे यहां के लिये उपयुक्त नहीं है। उस टेकनालाजी का उद्देश्य है-कम से कम व्यक्तियों द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन करना। वहां की परिस्थितियां भिन्न प्रकार की हैं। वहां काम करने वाले हाथ कम हैं तथा जरूरतें अधिक हैं। इसके विपरीत हमारी समस्या है। बेरोजगारों की भीड़ है तथा खरीदने की शक्ति नहीं है। इसीलिए भारतीय मजदूर संघ ने अपने ढग की टेकनालाजी के विकास की मांग उठाई है। कारखानों के आधार पर विचार करना होगा। शहरों में उद्योगों को केन्द्रित न होने देते हुए देहातों में उन्हें ले जाना होगा। गाँव-गाँव में बिजली ले जाकर उसके सहारे उद्योगों का प्रक्रियात्मक विकेन्द्रीकरण करना होगा। घर घर में मशीनरी बिठाकर उत्पादन के अपने तरीके ढूढ़ने होंगे। जापान की पद्धति हमें अपनानी होगी। एक नया औद्योगिक ढांचा खड़ा करना होगा।

उद्योगों का स्वामित्व किसके हाथ में रहे ?

उद्योगों के स्वामित्व के बारे में लोगों को यह भ्रम है कि वह या तो निजी पूंजीपतियों (प्राइवेट कैपटलिज्म) के हाथ में रहेगा अथवा सरकारी हाथों (नेशनलाइजेशन) में। इस कठमुल्लापन से हमें मुक्ति लेनी होगी। स्वामित्व के नाना प्रकार के ढांचे हो सकते हैं। लोग यह मानकर चलते हैं कि या तो टाटा बिरला की मोनोपली रहेगी अथवा इन्दिरा गांधी की। तात्पर्य यह कि इन दोनों में से किसी न किसी की मोनोपली का शिकार होना मानो उनके लिए अनिवार्य है। इस प्रकार की धारणा बनाकर चलना गलत है। सहकारीकरण का एक बड़ा सेक्टर हो सकता है, म्युनिसिप्लाइजेशन का अलग एक बृहद सेक्टर सम्भव है, डिमोक्रैटाइजेशन का भी एक बड़ा सेक्टर हो सकता है। डिमोक्रैटाइजेशन का मतलब जनता के शेयर से चलने वाला। उस उद्योग का शेयर कैपिटल बड़े बड़े

शरमायदार न खरीद सकें वरन् जो छोटी आय वाले (Low income group) लोग हों, केवल वे शेयर कैपिटल खरीद सके। इस तरह का कानून बनाकर उद्योगों का लोकतन्त्रीकरण किया जा सकता है। जैसे रूस, जर्मनी आदि में कई उद्योगों में हुआ है। हमारे यहां (Self Employed) लोगों का बड़ा भारी सेक्टर है। बढ़ई, लोहार, सुनार, दर्जी, धोबी, नाई, दस्तकार तथा चमार आदि जैसे लोग स्वयं अपने मालिक हैं और स्वयं अपने नौकर। इनके कार्य में ज्यादा परिवर्तन न करते हुए उसमें सुधार लाया जाना चाहिए उनके लिये आवश्यक संसाधन जुटाने चाहिए। इस तरह से (Self employed) लोगों के इस सेक्टर को देश में बढ़ाया जा सकता है। Agro based industry को खोला जा सकता है। Forest based industry को प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा Small scale industry को बढ़ाया जा सकता है। उक्त सभी बातों के अलावा सबसे प्रमुख सिद्धान्त को स्वीकार किया जाना चाहिये, वह अर्थात् प्रत्येक उद्योग में काम करने वाले मजदूर उस उद्योग में मालिक रहें। लोग समझते हैं कि उद्योग में तो पैसा बिड़ला साहब अथवा सरकार ने लगाया है, मजदूर कैसे मालिक हो सकेगा ? यह बात सही है कि बिना पैसा लगाये उद्योग नहीं चलेगा और इसलिये पैसा लगाने वाले को मालिक कहा जाता है, किन्तु हम पूछना चाहते हैं कि बगैर पसीना लगाये (मजदूरों का श्रम) क्या कारखाना चल सकता है ? हर्गिज नहीं। हरी हरी नोटों से कारखाना नहीं चलते वरन् मजदूर उसमें लगता है, तो कारखाना चलता है। अस्तु कारखाना चलाने वाले मालिक दो प्रकार के हुए–एक पैसे लगाने वाला और दूसरा पसीना लगाने बाला। इस प्रकार जिस तरह पैसे को उसी तरह पसीने को शेयर समझते हुए हर एक मजदूर के बारे में विचार करना चाहिये कि वह कितने वर्ष से काम कर रहा है, उस हिसाब से उसके पसीने की कीमत शेयर की शक्ल में मानना चाहिये। उसे पसीने का शेयर देने वाला शेयर होल्डर अर्थात मालिक मानना चाहिये। जैसे जैसे दिन बढ़ते जायेंगे, पसीने का शेयर बढ़ता जायगा। उस अवस्था में मजदूर न केवल प्रबन्ध में वरन् स्वामित्व में भी भागीदार होने के कारण अपने कारखाने व खदान को अपने अनुसार चलाने का उसे अधिकार रहेगा। इस प्रकार मजदूर को मालिक बनाना–भारतीय मजदूर संघ का सिद्धान्त है। हम न तो टाटा बिरला को साधु महात्मा समझते हैं और न मिनिस्टर लोगों को ही। मजदूरों की किस्मत को इन दोनों के हाथ सौंपने के लिये हम तैयार नहीं हैं। मजदूर अपनी किस्मत का स्वामी स्वयं बने, अपने कारखाने का मालिक स्वयं वह रहे। भारतीय मजदूर संघ ने इसी प्रकार के श्रमिकीकरण

Labourisation का सिद्धान्त अपने सामने रखा है।

बेतन बढ़ोत्तरी के कारण, मूल्य बृद्धि नहीं

वेतन बढ़ोत्तरी के कारण मूल्य बृद्धि होने का उल्लेख करना शत प्रतिशत गलत है। अर्थशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि Every wage rise is not responsible for price rise' मजदूरों के पैसा बढ़ने से हर समय कीमतें बढ़ती हैं-यह कहना सत्य से परे है। मजदूरों के कितने पैसे बढ़ने से उसका असर कीमतों पर पड़ता है-इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्र की ओर से ३ बातें कही गयी हैं-(१) वेतन में कितनी वृद्धि हुयी ? (२) उत्पादकता में कितनी बढ़ोत्तरी हुयी ? तथा (३) मूल्यों में कितनी बृद्धि हुयी है ? उसकी ओर से निरूपित सिद्धान्त है कि 'जब तक वेतन बृद्धि उत्पादकता बृद्धि के बराबर है अथवा कम है, वेतन बढ़ने से कीमतें नहीं बढ़ सकती हैं। कीमतें उस समय बढ़ेंगी जब वेतन बृद्धि, उत्पादकता बृद्धि से अधिक होगी। यही जो ज्यादा वेतन बृद्धि है, वही कीमतों को बढ़ाती है। हमारे यहां एक शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न आयोग जिसे 'राष्ट्रीय श्रम आयोग' के नाम से हम जानते हैं, उसने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद उत्पादकता बृद्धि बहुत ज्यादा हुयी है और उस अनुपात में उसने वेतन बृद्धि को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसलिये सरकार का यह कहना सरासर गलत है कि वेतन बृद्धि से मूल्य बृद्धि हुयी है।

गरीब की खुशहाली से ही उत्पादन बृद्धि नापी जा सकती है

अर्थनीति अथवा आर्थिक प्रगति के बारे में सरकार का देखने का दृष्टि-कोण गलत है। आज का अर्थशास्त्र यह बताता है कि कुल मिलाकर देश की दौलत कितनी बढ़ी, वह आकड़े जोड़कर अथवा अनुपात निकालकर नहीं मालूम किया जा सकता, वरन् वह इस बात से लगाया जा सकता है कि कम पैसे वाले (Low Income Group) व्यक्ति के घर में कितनी खुशहाली बढ़ी है। इसी एकमेव आधार पर तय हो सकता है कि देश की सम्पत्ति बढ़ी है या नहीं। एक ओर आज मंहगाई बढ़ रही है, भुखमरी वढ़ रही है दूसरी ओर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि आमदनी बढ़ गयी है। दोनों परस्पर विरोधी बाते साथ-साथ चल रही है। गरीब व्यक्ति की जीवनोपयोगी बस्तुयें-रोटी, कपड़ा, अनाज क्या पर्याप्त मात्रा में बाजार में मिल रहा है ? न मिलने का कारण है उसके पास

खरीदने की ताकत नहीं है। बाजार में वही वस्तुयें आती हैं, जिनकी मांग है। जिनके पास पैसा है, सरमायेदार लोग हैं, उनकी आवश्यकता को देख कर ही बाजार में वस्तुयें आती हैं। उनकी माँग बिलासिता की वस्तुओं की रहती है। वे मांग करते हैं–रफ्रीजरेटर की, ट्रांन्जीस्टर की, कार अदि जैसी वस्तुओं की। आज २६ वर्षों में इन वस्तुओं की माँग निरन्तर बढ़ रही है। इसीलिये इन बस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और उपभोक्ता वस्तुओं की पैदावार कम होती जा रही है। इस दुष्चक्र को बदलने की आवश्यकता है। बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं की माँग को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिये गरीब व्यक्ति की खरीदने की ताकत बढ़ाने की योजना चाहिये। उसकी जेब में जबरदस्ती पैसा डालने की आवश्यकता है। तभी वह आटा दाल चावल व कपड़ा खरीदने के लिये बाजार में आवेगा। इन वस्तुओं की माँग बढ़ेगी। फलस्वरूप छोटे आदमी के लिये उद्योग, धंधे बढ़ेंगे। देहात में देहात के गरीब व बेकार लोगों को काम मिलेगा। वे पैसा पावेंगे और तभी बाजार से उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदेंगे। दुष्चक्र के स्थान पर यह एक नया व शुभ चक्र प्रारम्भ हो जावेगा। खेती से लेकर बिल्डिग बनाने, रास्ता बनाने, तालाब खोदने, बांध बांधने, नहर बनाने, ट्यूब वेल को बढ़ावा देने जैसे अनेक विकास के कार्यक्रम लेकर उन्हें काम दिया जा सकता है और उनके जेब में पैसा हो सकता है।

मजदूर १०० वर्ष पुराने तकियानूसी मार्क्सवाद को छोड़ रहा है

अपने को प्रगतिशील कहने वाले कम्युनिस्ट एक सौ वर्ष पहले की लिखी हुयी Out Dated पोथी का हवाला देकर आज चलते हैं। और उन्हीं के रास्ते पर इसी पोगापन्थी आधारों को लेकर नव कांग्रेसी बड़े क्रांतिकारी कहलाना चाहते हैं, किन्तु देश का मजदूर इन कठमुल्लों को छोड़कर भारत की आर्थिक स्थिति का आंकलन करते हुये और स्वतन्त्र रूप बिचार करते हुए भारतीय मजदूर संघ के साथ आ रहा है।

भारतीय मजदूर संघ एक एक पग आगे बढ़ रहा है। वह कट्टर राष्ट्रवादी मजदूर संगठन के नाते कार्य कर रहा है। मजदूर हित, उद्योग हित तथा राष्ट्र-हित तीनों एक ही दिशा में जाने वाले मार्ग हैं–की कल्पना को वह साकार कर रहा है। यह संगठन सब प्रकार से स्वतन्त्र है। व्यक्तिगत नेतागीरी से स्वतन्त्र, राजनीति से स्वतन्त्र, वादों और विवादों से स्वतन्त्र मालिकों से स्वतन्त्र, सरकार से स्वतन्त्र, विदेशियों से स्वतन्त्र होकर मजदूरों का, मजदूरों के लिये तथा मजदूरों द्वारा चल रहा है। सही ट्रेड यूनियन के रूप में अकेला कार्य कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने देश के मजदूरों को झूठे व थोथे नारों से मालिकों व सरकार के हथकण्डों से एवं विदेशी एजेन्टों से मुक्त करने का संकल्प लेकर ही मजदूर क्षेत्र में पदार्पण किया है।

मुद्रक–टिप-टाप प्रिन्टर्स, २४/९१ बिरहाना रोड, कानपुर–१